



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3570

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43273 वर्ष 2025

विकास उर्फ बाबू

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : शशि प्रकाश पाण्डेय, शुभम पाण्डेय

विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री विनायक पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता, जो श्री शशि प्रकाश पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, का संक्षिप्त कार्य संभाल रहे हैं, तथा श्री आर.एम. यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 344 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 109(1), 190, 191(2), 191(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलंदशहर के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त प्रभात को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 34221 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने के कारण वह दिनांक 29.4.2025 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूँकि आवेदक की



भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
7. उक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक **विकास @ बाबू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो भारी जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
 1. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 3. आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति माफ न की गई हो।
 4. जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा अपराध के कारित होने में संलिप्त नहीं होगा।
 5. आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से रोकने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
9. आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास का प्रमाण-पत्र मुचलके स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

शालिनी

Translated Version. Not for Legal Use.